



सभी कर्मचारियों को पीएफ पेंशन योजना चुनने का वकिलप

प्रलिस के लयि:

कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014, EPFO, सर्वोच्च न्यायालय ।

मेन्स के लयि:

PF पेंशन योजना और इसके प्रभावों पर सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय ।

चर्चा में क्यों?

एक महत्त्वपूर्ण फैसले में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने [कर्मचारी पेंशन \(संशोधन\) योजना, 2014](#) को बरकरार रखते हुए पेंशन फंड में शामिल होने के लयि 15,000 रुपए मासकि वेतन की सीमा को रद्द कर दया है ।

कर्मचारी पेंशन योजना:

परचिय:

- EPF पेंशन, जसि तकनीकी रूप से कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के रूप में जाना जाता है, [कर्मचारी भविय नधिसंगठन \(EPFO\)](#) द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सामाजकि सुरक्षा योजना है ।
 - यह योजना पहली बार वर्ष 1995 में शुरु की गई थी ।
- EPFO द्वारा प्रदान की जाने वाली यह योजना 58 वर्ष की आयु में सेवानवृत्तिके बाद संगठति क्षेत्र के कर्मचारियों के लयि पेंशन का प्रावधान करती है ।
- वे कर्मचारी जो **EPF के सदस्य हैं वे स्वतः ही EPS के सदस्य बन जाते हैं ।**
 - कर्मचारी भविय नधि (EPF) योजना में नयिकता और कर्मचारी दोनों कर्मचारी के मासकि वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) का 12% योगदान करते हैं ।
 - EPF योजना उन कर्मचारियों के लयि अनविरय है जो 15,000 रुपए प्रतमाह मूल वेतन प्राप्त करते हैं ।
 - नयिकता के 12% के हसिसे में से 8.33% EPS में जमा कर दया जाता है ।
 - केंद्र सरकार भी कर्मचारियों के मासकि वेतन का 1.16% योगदान करती है ।

EPS (संशोधन) योजना, 2014:

- वर्ष 2014 के EPS संशोधन ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपए प्रतमाह से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रतमाह कर दया था और केवल मौजूदा सदस्यों (1 सतिंबर, 2014 तक) को अपने नयिकताओं के साथ पेंशन फंड में अपने वास्तवकि वेतन (यदयिह सीमा से अधिक) पर 8.33 प्रतशित योगदान करने के वकिलप का प्रयोग करने की अनुमति दी थी । क्षेत्रीय भविय नधि आयुक्त के वविक पर इसे और छह महीने के लयि बढ़ाया जा सकता है ।
- हालाँकि इसने 15,000 रुपए से अधिक आय वाले और सतिंबर 2014 के बाद शामिल होने वाले नए सदस्यों को योजना से पूरी तरह से बाहर कर दया ।
- हालाँकि संशोधन में ऐसे सदस्यों को पेंशन फंड के लयि प्रतमाह 15,000 रुपए से अधिक वेतन का अतरिकित 1.16% योगदान करने की आवश्यकता थी ।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला:

- अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने EPFO सदस्यों, जनिहोंने EPS का लाभ उठाया है, को अगले चार महीनों में अपने वास्तवकि वेतन का 8.33% तक योगदान करने का एक और अवसर दया है, जबकि पेंशन योग्य वेतन का 8.33% पेंशन के लयि 15,000 रुपए प्रतमाह तक सीमति है ।
 - पूर्व-संशोधन योजना के तहत पेंशन योग्य वेतन की गणना पेंशन फंड की सदस्यता से बाहर नकिलने से पहले 12 महीनों के दौरान प्राप्त वेतन के औसत के रूप में की गई थी । संशोधनों ने इसे पेंशन फंड की सदस्यता से बाहर नकिलने से पहले औसतन 60 महीने तक बढ़ा

दिया।

- न्यायालय ने संशोधन के तहत **15,000 रुपए से अधिक मासिक वेतन के संदर्भ में अतिरिक्त 1.16%** का योगदान करने के लिये कहा जो कि कर्मचारी भविष्य नधि और वविधि प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों से इतर है।

नहितार्थ:

- ईपीएफ के सदस्य 15000 रुपये की सीमा के बजाय अपने पूरे वेतन के आधार पर पेंशन प्राप्त कर सकेंगे।
- सहायक प्रोविडेंट आयुक्त के अनुमोदन के बिना ईपीएफ में योगदान करने वाले कर्मचारी और नियोक्ता को इस निर्णय का लाभ नहीं मिल सकता है।
- वर्ष 2014 में किया गया संशोधन उन कंपनियों पर लागू रह सकता है जो ट्रस्टों के माध्यम से अपने ईपीएफ कोष का प्रबंधन करती हैं।

यूपीएससी सविलि सेवा वगित वर्षों के प्रश्न

प्रश्न. भारत में नियोजति आकस्मकि श्रमकिों के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2021)

1. सभी नैमित्तिक कामगार कर्मचारी भविष्य नधि किवरेज के हकदार हैं।
2. सभी आकस्मकि श्रमकि नयिमति रूप से काम के घंटे और ओवरटाइम भुगतान के हकदार हैं।
3. सरकार एक अधिसूचना द्वारा नरिदषिट कर सकती है कि एक प्रतषिटान या उद्योग केवल अपने बैंक खाते के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है?

- (a) 1 और 2 केवल
- (b) 2 और 3 केवल
- (c) 1 और 3 केवल
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

[सत्रोत: द हनिद्र](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/all-employees-can-opt-for-pf-pensions-scheme>